कमाकं: 5–27/2018–जेल(31) -5682
हिमाचल प्रदेश सरकार
''कारागार निदेशालय एवं सुधारात्मक सेवाएं''

दिनांक शिमला–171009 25 SEP 2019

"STANDING ORDER."

Subject:- Authorization of Residential Accommodation in the Department of Prisons & Correctional Service, Himachal Pradesh.

प्रदेश की कारागारों में वर्ष 1996 से 2019 के मध्य कारागार के विभिन्न श्रेणियों के 569 पदों से वर्तमान में 761 जिसमें 192 पूर्व के अतिरिक्त नये पदों का सृजन हुआ है । विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की कारागार में दिन–रात समय–2 पर डयूटि की आवश्यकता/महता आदि को एंव कारागारों व कार्यालय आदि में कार्यरत स्टाफ की वृद्वि के मध्यनजर तथा पूर्व संदर्भित समस्त आदेशों के अधिकमण में, सरकारी आवासों में वर्तमान में आई कमी को ध्यान में रखते हुए S.O.P. (Standard Operating Procedure)/ मानक संचालन प्रकिया बनाने का निर्णय लिया जाना आवश्यक था । दिंनाक 21/09/2019 को S.O.P. के कियान्वित हेतु विभागीय बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया जिसमें कारागार के कार्यकारी वार्डर स्टाफ को 40% सरकारी आवास तथा 60%वार्डर स्टाफ को वार्डर लाईन में रहना अनिवार्य समझा गया तथा सहायक अधीक्षक तथा उससे वरिष्ठ समस्त जेल अधिकारियों को 100% तक आवास उपलब्ध करवाए जाने बारे विचारोपरान्त निर्णय लिया गया :–

1. सहायक अधीक्षक जेल एवं उससे वरिष्ठ समस्त जेल अधिकारियों को 100% सरकारी आवास आबंटित किए जाएगें ।
2. जेल में कार्यरत मैडिकल स्टाफ जिसमें जेल चिकित्सा अधिकारी एवं डिस्पैसंर आदि शामिल हैं को भी 100% सरकारी आवास आबंटित किए जाएगें ।
3. जेल में कार्यरत मुख्य वार्डर/वार्डर (महिला एवं पुरूष) को 40% सरकारी आवास आबंटित किए जाएगें तथा शेष 60% मुख्य वार्डर/वार्डर (महिला एवं पुरूष) को वार्डर लाईन में रहना अनिवार्य होगा ।
4. जेल में कार्यरत लिपिकीय एवं अन्य शैक्षणिक एवं तकनीकि वर्ग के कर्मचारियों को 50 % सरकारी आवास आबंटित किए जाएगें तथा शेष 50% को सरकारी आवास की अनुपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार आवास भत्ता प्रदान किया जाएगा ।
5. जेल में कार्यरत कार्यकारी स्टाफ को किसी भी स्थिति में जेल परिसर से बाहर रहने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी । सरकारी आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में ही जेल परिसर से बाहर निजि आवास रखने की अनुमति केवल विभागाध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त ही दी जाएगी ।
6. जेल कार्यकारी स्टाफ को सरकारी आवास तीन वर्ष की अवधि के लिए आबंटित किया जाएगा, तीन वर्ष की अवधि उपरान्त उक्त कर्मचारी को सरकारी आवास खाली करना होगा ।
7. उक्त कर्मचारी को कोई आवास भत्ता देय नहीं होगा । सरकारी आवास उन्ही कार्यकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा जिनका परिवार साथ रहता हो । सरकारी आवास का आंबटन ऐसी स्थिति में जिन कर्मचारियों का परिवार साथ रहता हो के आवेदनों को सरकारी सेवाओं की वरिष्ठता अनुसार पात्रता दी जायेगी ।
8. जिस कर्मचारी को सरकारी आवास आंबटित किया जायेगा वह बिजली व पानी के बिलों की अदायगी के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा ।
9. जिस कर्मचारी को सरकारी आवास आंबटित किया जाऐगा उस आवास के रख रखाव के लिए वह स्वंय जिम्मेदार होगा । यदि आंबटित आवास में किसी प्रकार की क्षति आदि पाई जाती है तो क्षति–पूर्ति पर होने वाले व्यय का सम्बन्धित कर्मचारी से वसूल किया जायेगा ।

इन हिदायतों का कड़ाई से पालन किया जाए । किसी भी प्रकार की अवहेलना से उत्पन्न परिस्थिति की जिम्मेवारी सम्बधित अधीक्षक कारागार की होगी ।

महानिदेशक
कारागार एवं सुधारातमक सेवाएं,
हिमाचल प्रदेश ।

Scanned by CamScanner

क्रमांकः 5–27/2018–जेलज (158) – 446-
हिमाचल प्रदेश सरकार
"महानिदेशालय कारागार एंव सुधारात्मक सेवाएं"

दिंनाक शिमला–171009 21 JAN 2021

CORRIGENDUM

Subject:- Authorizaton of Residential Accommodation in the Department of Prisons & Correctional Service Himachal Pradesh.

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के क्रमांक संख्याः 5–27/2018–जेल(31)–5383 दिनांक 25/09/2019 को कारागार विभाग में उपलब्ध रिहायशी भवनों को विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को रिहायशी भवनों के आबंटन किये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया/Standard Operation Procedure के क्रम संख्या 07 में निम्न प्रकार से संशोधन किया जाता हैः–

सरकारी आवास उन्हीं कार्यकारी कर्मचारियों को आंबटित किया जाएगा जिनका परिवार साथ रहता हो । सरकारी आवास का आंबटन ऐसी स्थिति में जिन कर्मचारियों का परिवार साथ रहता हो, के आवेदनों को सेवाओं की वरिष्ठता अनुसार पात्रता दी जाऐगी तथा कारागार में उपलब्ध सरकारी आवास जो मुख्य वार्डर एवं वार्डर (महिला एंव पुरूष) कर्मचारियों को तीन वर्ष के लिए आबंटित किया जाता है को. सरकारी आवास तीन वर्ष के अन्तराल उपरान्त ही पुनः आवास की उपलब्धतता के आधार पर ही आबंटित किया जाए तथा यदि कोई कार्यकारी कर्मचारी स्थानातंरण उपरांत आवास आबंटन बारे अनुरोध करता है तो उसको पूर्व तैनाती स्थान में आबंटित आवास को रिक्त किये जाने की तिथि से 03 वर्ष के अन्तराल को ध्यान में रख कर ही आबंटित किया जाये, ताकि किसी भी कार्यकारी कर्मचारी को वर्तमान एंव पूर्व नियुक्ति स्थान के आधार पर लगातार आवास आंबटन न हो एंव समस्त कार्यकारी कर्मचारियों को समान रूप से सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकें । सरकारी आवास का आंबटन/रिक्त करने की तिथी को सम्बन्धित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाए ।

–आदेशानुसार–

महानिदेशक,
कारागार एंव सुधारात्मक सेवाएं
हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठाकंन संख्याः 5–27/2018–जेलज (158) – 446. दिंनाक शिमला–171009 21 JAN 2021

प्रतिलिपि समस्त अधीक्षक जेल, हिमाचल प्रदेश को अनुपालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

कृते महानिदेशक,
कारागार एंव सुधारात्मक सेवाएं
हिमाचल प्रदेश ।